रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052023-245862
CG-DL-E-13052023-245862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2023/वैशाख 22, 1945
No. 291] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2023/VAISAKHA 22, 1945

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2023

सा.का.नि. 363(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (पुस्तकालय और सूचना सहायक), भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 2023 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	एक * (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु0)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 (तीस) वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा	**आवश्यक** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री ; **अनुभव :** केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / स्वायत्त या कानूनी संगठन / पब्लिक सेक्टर उपक्रम / विश्वविद्यालय या	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न होने सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाए।	मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन के पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव । **वांछनीय** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा । **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्रों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / स्वायत्त संगठनों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं ; या	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) – अध्यक्ष; 2. उप सचिव, सांख्यिकी और	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) जिन्होने मूल काडर / विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु0) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पण 1** :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय- सदस्य; 3. उप निदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - सदस्य	

[फा. सं. ए–12018/7/2020-जेसीएम (इ-30902)]

नवीन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Sample Survey Office)

(FIELD OPERATIONS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2023

G.S.R. 363(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office (Library and Information Assistant), Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. –** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Posts.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection Post or Non-selection Post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Library and Information Assistant.	One* (2023) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 (₹35400-112400)	Not Applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational & other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not exceeding 30 (thirty) years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University / Institute; Experience: Two years professional experience in Library under Central Government / State Government / Union Territory Government / Autonomous or Statutory Organization / Public Sector Undertaking / University or Recognized Research or Educational Institution. **Desirable:** Diploma in Computer Application	Not Applicable.	Two years for direct recruits.	By Deputation (Including Short Term Contract) failing which by Direct Recruitment.

	from a recognized University or Institute. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification and experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (Including Short Term Contract):- Officers under the Central Government / State Government / Union territories / Public Sector Undertakings / Autonomous Organizations or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous organization;- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- **1.** Deputy Director General, National Sample Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Chairman **2.** Deputy Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation – Member **3.** Deputy Director, National Sample	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

regular basis in posts in Level-5 (₹29200–92300/-) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) / absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Survey Office, Field Operations Division (Headquarter) – Member	

[F. No. A-12018/7/2020-JCM (E-30902)]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.05.13 11:14:23 +05'30'